न्यायालय नायब तहसीलदार, तहसील, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी ::: सतीश कुमार (R.T.S)

मिसल नं. ::: 19/2020

सरकार बनाम कर्णसिंह पुत्र घड़सीराम, जाति जाट, निवासी– नेतरामपुरा

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक : 19.02.2020

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल कर्णसिंह पुत्र घड़सीराम, जाति जाट, निवासी– नेतरामपुरा द्वारा रोही मौजा नेतरामपुरा की राजकीय भूमि ख.नं. 100 के कुल रकबा 5.92 है0 किस्म गै.मु. जोहड़ में से रकबा 0.05 है0 भूमि पर पक्के मकान व ढारा बनाकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किये गया। गैर सायल ने हाजिर होकर जवाब नोटिस पेश किया जिसमें अपना कब्जा पुराना होना बताया है लेकिन कब्जे के विधिक होने के संबंध में कोई साक्ष्य/सबूत पेश नही किया। गैर सायल का जवाब संतोषजनक नही माना जा सकता।

अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायल को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उसके विरूद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते है। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 12 रू. कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावें। पटवारी / गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावें । मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सतीश कुमार)
नायब तहसीलदार सूरजगढ़

रा० ले० स० 4 के पृष्ठ सं. 26 पर
वर्ष 2019-20 में रुपये 12/- कायम कि
राजस्व लेखाकार